## <u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रकरण.क.—418 / 2009</u> <u>संस्थित दिनांक—03.08.2009</u> फाईलिंग क.234503000182009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	<u>अभियोजन</u>
/ / विरूद्ध	//
चन्द्रकिशोर पिता छगनलाल सोनी, उम्र–35 वर्ष,	
निवासी—ग्राम ठेमा, थाना परसवाड़ा,	
जिला–बालाघाट, (म.प्र.)	आरोपी

# // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-24/05/2016 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—23.06.2009 को 3:00 बजे, आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कनई के पास पौंडी चिरईडोंगरी लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक—एम.पी. 50—डी.—0346 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहतगण मूलचंद, रामप्रसाद व कुमारी अलका को स्वेच्छया साधारण उपहित्त कारित की तथा मृतक केशव की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—23.06.2009 को फरियादी मूलचंद ने थाना परसवाड़ा में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बुलेरो वाहन में बैठकर ग्राम खरपड़िया जा रहा था, जिसे आरोपी अत्यधिक लापवाहीपूर्वक चला रहा था। उसने वाहन चालक को वाहन धीरे चलाने के लिए कहा था, लेकिन चिरईडोंगरी रोड़ पर आरोपी ने वाहन को मोड़कर तेज गित से चलाते हुए पलटा दिया। उसे अंदरूनी चोट लगी थी। वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। उपरोक्त आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध कमांक—35/2009, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उपचार के दौरान आहत केशव की मृत्यु हो जाने से पुलिस द्वारा मृतक केशव की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन कमांक—09/93 तैयार कर, नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक केशव का शव परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध धारा—304(ए) भा.द.वि. बढ़ाई गई। पुलिस ने आहतगण का

चिकित्सीय परीक्षण कराया जाकर घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन जप्त मय दस्तावेज के जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1— क्या आरोपी ने दिनांक—23.06.2009 को 3:00 बजे, आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कनई के पास पौंडी चिरईडोंगरी लोकमार्ग पर वाहन बुलेरों क्रमांक—एम.पी.50—डी.—0346 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहतगण मूलचंद, रामप्रसाद व कुमारी अलका को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
- 3— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक केशव की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता ?

## विचारणीय बिन्दु कमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— आहत मूलचंद (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके कथन एक साल पूर्व जून माह है, वह वाहन से ग्राम चंदना से ग्राम कनई आ रहा था, जिसे आरोपी बहुत तेज गित से चला रहा था। घटनास्थल पर हल्का सा मोड़ था, जिससे वाहन पलट गया था। उसने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी और उसमें अंगूठा निशान लगाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वाहन कैसे पलटा वह नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय वह वाहन में पीछे बैठा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के पूर्व ग्राम चंदना में केशव एवं दिनेश ने शराब पी थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी वाहन चालक ने ब्रेक काम नहीं कर रहा

था, इस प्रकार कि आवाज दुर्घटना के पूर्व लगाई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी वाहन को सामान्य गित से चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि शराब के नशे में होने के कारण केशव की मृत्यु हो गई थी।

- 6— रामप्रसाद (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके कथन से लगभग 6 मिहने पूर्व की है। घटना दिनांक को उसके मामा ग्राम चंदना आए थे। वह अपनी पत्नी के साथ बुलेरो वाहन से जा रहा था, जिसे आरोपी चला रहा था। ग्राम कनई के पास के दूसरे टोले में बुलेरो गाड़ी पलट गई थी, उसे बांए आंख और दांये पैर में चोट आई थी। उसके मामा को पैर में फेक्चर हो गया था और उसकी रात्रि 12:00 बजे शासकीय अस्पताल बालाघाट में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना आरोपी के द्वारा कारित की गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि बाहन का ब्रेक फेल हो जाने से दुर्घटना हुई। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि ब्रेक फेल होने की बात आरोपी ने सवारियों से चिल्लाकर कही थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके मामा ने दुर्घटना के समय शराब पी थी।
- 7— राजेश्वरी (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना वर्ष 2009 की जून माह की है। आरोपी बुलेरो वाहन चला रहा था, जिससे उसका मामा ससुर घर आया था। वह अपने पित के साथ बैठकर ग्राम ठेमा जा रही थी, तभी आरोपी ने वाहन को अत्यधिक तेज गित से चलाकर वाहन को पलट दिया था। उसे तथा उसके पित को चोट आई थी और उसके मामा ससुर की मृत्यु हो गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा कि उसने पुलिस कथन में पुलिस को, आरोपी वाहन को 80—90 प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाने वाली बात बताई थी। साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी—3 में आरोपी द्वारा 80—90 की रफ्तार से चलाने वाली बात लेख नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः कहा है कि वाहन को आरोपी अत्यधिक तेज गित से चला रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय केशव और दिनेश शराब पीए हुए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसे दुर्घटना के बाद जानकारी प्राप्त हुई थी कि वाहन का ब्रेक फेल हो गया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना कैसे घटी वह नहीं बता सकती, परंतु बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना कैसे घटी वह नहीं बता सकती, परंतु बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने वाहन कौन चला रहा था, यह पीछे बैठे होने के कारण नहीं देखा था।
- 8— कुमारी अलका (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह घटना दिनांक को ग्राम ठेमा से ग्राम चंदना जा रही थी, तब वाहन पलट गया था। वह आरोपी को नहीं जानती। वाहन चालक वाहन को तेजी से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में

साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन चालक कौन था वह नहीं जानती।

- 9— नानीबाई (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना दिनांक—23.06.2009 की ग्राम कनई व धुर्वा के बीच की दिन के 2—3 बजे की है। उक्त दिनांक को उसे सूचना प्राप्त हुई कि उसके पति दुर्घटना में मौन हो गए है। घटना दिनांक को उसका पति व भांजा, भतीजी ग्राम चंदना से मार्शल से आ रहे थे, तभी मार्शल वाहन पलट गया था। उसे पति को परसवाड़ा अस्पताल में भर्ती किया गया और इसके पश्चात् बालाघाट अस्पताल भेजा गया था। उसके भांजे एवं भतीजी को भी चोट आई थी। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके पति की मृत्यु जांच में उपस्थित होने हेतु पंचनामा प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसे जानकारी हुई थी कि आरोपी वाहन तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह अपने पति के साथ नहीं गई थी।
- 10— सुरेश टेंभरे (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह मृतक केशव को जानता है। केशव की मृत्यु कैसे हुई थी, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने पंचायतनामा प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 11— महेश पटले (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह वर्ष 2005 से दो पिहया वाहन चलाता है, जिस कारण उसे वाहन चलाने एवं सुधारने का अनुभव है। उसने दिनांक—01.07.2009 को बुलेरो वाहन कमांक—एम.पी—50 / बी—0346 का मैकेनिकल परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। वाहन का स्टेयरिंग टूटा था, चेचीस बेंड था, ब्रेक फेल थे, बॉडी टूटी—फूटी हुई थी, हेडलाईट टूटे थे। बम्फर सामने का और हेड मिरर टूटा था। सभी पल्लो के कांच फूटे थे। उक्त वाहन का क्लच काम नहीं कर रहा था। परीक्षण के समय गाड़ी का इंजन बंद हालत में था।
- 12— अभियोजन कहानी के अनुसार दुर्घटना दिनांक—23.06.2009 की है। दुर्घटना के समय आरोपी वाहन को चला रहा था। अभियोजन साक्षी मूलचंद (अ.सा.1), रामप्रसाद (अ.सा.2), राजेश्वरी (अ.सा.3) ने कहा है कि दुर्घटना के समय आरोपी वाहन अत्यधिक तेज गति से चल रहा था। आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन को मोड़ पर पलट दिया गया था। यदि उपरोक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो सभी ने यह अस्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय आरोपी ने वाहन बुलेरो क्रमांक—एम.पी.50—डी.—0346 को चलाते हुए दुर्घटना के पहले वाहन के ब्रेक फेल होने वाली बात चिल्लाकर वाहन में बैठे लोगों को कही थी। उपरोक्त सुझाव देने से यह माना जावेगा कि बचाव पक्ष ने स्वीकार

किया है कि दुर्घटना के समय आरोपी वाहन चला रहा था। अब देखना यह है कि क्या आरोपी द्वारा उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाया जा रहा था। मात्र तेज गित से वाहन चलाना अपने आप में अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके लिए उपेक्षापूर्वक एवं उतावलापन से वाहन चलाना भी आवश्यक है। साक्षी मूलचंद (अ.सा.1) ने कहा है कि आरोपी की गलती से वाहन पलटा था। इसी आशय का कथन साक्षी रामप्रसाद (अ.सा.2) ने किया है कि आरोपी द्वारा घटना कारित की गई थी। साक्षी राजेश्वरी (अ.सा.3) ने कहा है कि अत्यधिक तेज गित से आरोपी वाहन चला रहा था। उपरोक्त साक्षियों ने वाहन की गित 80–90 होना बताई है। सामान्यतः मोड़ पर वाहन को इतनी गित अथवा तेज गित से मोड़ने पर वाहन का पलट जाना संभव है, इसलिए आरोपी का कृत्य उतावलेपन की श्रेणी में आता है। उपरोक्त अभियोजन साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहें हैं कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी। अतः आरोपी द्वारा उतावलेपन से वाहन चलाया जाना संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया जाता है।

## विचारणीय प्रश्न कमांक—2 का निष्कर्ष

अारोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 के अपराध किये जाने का अभियोग है। प्रकरण में आहत रामप्रसाद, कुमारी अलका, मूलचंद के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट कमशः प्रदर्श पी—7, 8, 9 को चिकित्सक साक्षी डॉ. आर.के. नखरा (अ.सा.10) ने प्रमाणित कर यह कहा है कि उन्होंने आहत मूलचंद, रामप्रसाद व कुमारी अलका का चिकित्सीय परीक्षण किया है और उन्हें दिनांक—23.06.2009 को चोट आना पाई थी। यह चोट आहतगण को दुर्घटना में नहीं आई थी, यह आधार बचाव पक्ष ने नहीं लिया है, इसलिए यह माना जावेगा कि आरोपी के द्वारा उतावलेपन से वाहन चलाने से दुर्घटना हुई थी और आहतगण को चोटें आई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 में सिद्धदोष पाया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न कमांक-3 का निष्कर्ष

14— दुर्घटना में आहत केशव की मृत्यु हुई थी, इसलिए प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304 ए का अपराध किये जाने के संबंध में भी अभियोग है। चिकित्सक साक्षी ए.सी. कावड़े (अ.सा.11) ने मृतक केशव के संबंध में शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—10 को अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है। साक्षी ने अपने अभिमत में मृतक की मृत्यु कोमा में आने की वजह से होना प्रकट किया है। इससे पूर्व केशव का मेडिकल परीक्षण चिकित्सक साक्षी आर.के. नखरा (अ.सा.10) ने किया था।

उपरोक्त चिकित्सक द्वारा केशव की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 को प्रमाणित कर यह कहा गया है कि आहत को बांए पुठ्ठे पर चोट थी एवं आहत बेहोश था। विवेचक साक्षी एम.एल. वंशकार (अ.सा.12) ने स्वयं द्वारा की गई विवेचना को प्रमाणित कर यह कहा है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 लेख किया था। उसके पश्चात उसने समस्त विवेचना की कार्यवाही कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मृतक केशव के विषय में बचाव पक्ष द्वारा यह बचाव लिया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक केशव ने शराब पी रखी थी, परंतु शव परीक्षण पश्चात् चिकित्सक ने यह अभिमत दिया है कि मृतक की मृत्यु कोमा में होने के कारण हुई थी। मृतक कोमा में शराब पीने से चला गया था, ऐसा चिकित्सक का अभिमत नहीं है, इसलिए यह माना जावेगा कि दुर्घटना होने से मृतक केशव कोमा में चला गया था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304 ए का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 304 ए में सिद्धदोष पाया जाता है। आरोपी द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

#### (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बेहर, जिला–बालाघाट

#### पुनश्च-

- 15— दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी नवयुवक हैं। आरोपी द्वारा लगातार विचारण का सामना किया गया है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।
- 16— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विचारोपरान्त आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के लिए तीन माह का सश्रम कारावास एवं 200 / —रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड न चुकाए जाने की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 17— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 के अपराध के लिए तीन माह का सश्रम कारावास तथा 500 / —रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड न चुकाए जाने की दशा में आरोपी को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 18— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304 ए के अपराध के लिए एक

वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 / —रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपी को दी गई कारावास की तीनों सजाएं एक साथ भुगताई जावे।

20— प्रकरण में आरोपी की अभिरक्षा में निरूद्ध अवधि उसके मूल दण्डादेश से समायोजित की जावे। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

22— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा–437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

23— अारोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

24— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बुलेरो कमांक एम.पी—50 / बी—0346 को सुपुर्ददार दिलीपचंद वल्द छगनलाल सोनी, जाति सोनी, निवासी—ग्राम ठेमा, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर जिला बालाघाट को मय दस्तावेज के प्रदान किया गया है, जो अपील अविध पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk{kfjr o दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर, दिनांक—24.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मिज.प्र.श्रेणी, बेहर, जिला—बालाघाट